कार्यालयः प्रभारी अधिकारी–ट्रस्ट
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

पत्र संख्या 2135/N.O(T)/25 दिनांक 9-10-2025

अधिशासी अभियन्ता, जोन–06

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 621/ए0ए0–6/25 दिनांक 08.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से ऐशबाग इण्डस्ट्रियल एरिया योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा रिक्त कराये गये भूखण्ड संख्या भूखण्ड संख्या 68जी, 68सी, 68एफ, 68जे, 68के, 68बी एवं 68/6 पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के निर्माण, आवन्टन प्रक्रिया से पूर्व रेरा में रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तावित स्थल का भू–स्वामित्व विवरण, खसरा खतौनी एवं सजरा आदि उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त भूखण्ड निम्नलिखित संस्थाओं को इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1926 की मध्यावधि में पट्टे पर प्रदान किये गये थेः–

क्रम सं0	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफिट)	पट्टाधारक का नाम
1	68बी	20,747	स्टैण्डर्ड ऑयल कम्पनी
2	68सी	39003	दि टैंक स्टोरेज कम्पनी
3	68एफ	19,142	एशियाटिक पेट्रोलियम कम्पनी
4	68जी	25,243	इण्डो वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी
5	68जे	20,970	स्टैण्डर्ड ऑयल कम्पनी
6	68के	17131	स्टैण्डर्ड ऑयल कम्पनी
7	68/6	50,555	स्टैण्डर्ड ऑयल कम्पनी

अवगत कराना है कि उक्त सारणी में वर्णित भूखण्डों का पट्टा ब्रिटीश कालीन समय में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया गया था। उक्त भूखण्डों की पट्टावधि समाप्त होने के उपरान्त विभिन्न व्यक्तियो/संस्थाओं का अवैध कब्जा था, जिन्हे प्राधिकरण द्वारा अवमुक्त कराते हुये भूखण्डों का कब्जा वर्ष 2019 अपने अध्यासन में लिया गया। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–59 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट/नगर महापालिका की समस्त सम्पत्तियॉ ल0वि0प्रा0 के पक्ष में संवीलित हो गयी। प्रश्नगत भूखण्डों पर पुर्नप्रवेश की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त उक्त अधिनियम के अनुसार स्वामित्व ल0वि0प्रा0 में निहित है।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्डों के खसरा/अर्जनीय अभिलेख इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट अनुभाग में उपलब्ध नही है, जिन्हे उपलब्ध कराये जाने हेतु ल0वि0प्रा0 द्वारा पूर्व में पत्र प्रेषित किया गया था, जिसकी छायाप्रति साथ में संलग्न है। तदानुसार वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करे।

(प्रभाकर सिंह)
प्रभारी अधिकारी–ट्रस्ट

प्रतिलिपिः–उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।

(प्रभाकर सिंह)
प्रभारी अधिकारी–ट्रस्ट